न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः–39 / 2019 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः–2019 / 00071

उनवान

1. हरसहाय पुत्र जगदेव
2. धनकी देवी पत्नी बद्री
3. हंसराम
4. अमरबाई
5. भोलीबाई
6. गल्लीबाई
7. रामफूल

पिसरान बद्री समस्त जाति मीना निवासी दांतली तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान

8. शिम्भू पुत्र रतनी पत्नी भरतलाल जाति मीना निवासी सुजान पुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।
9. राजाराम
10. रामकेश
11. राजकुमार

पिसरान फूलबाई पत्नि हरसहाय जाति मीना निवासी नांगल शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान

12. कंचन
13. बत्ती
14. अमरसिंह
15. रामचरण

पिसरान हरिया जाति मीना निवासी दांतली तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।

16. रामसिंह पुत्र कैल्या
17. सरदार पुत्र कैल्या
18. रोहित पुत्र ओमप्रकाश
19. मोहित पुत्र ओमप्रकाश

ओमप्रकाश पुत्र कैल्या जरिये संरक्षक माता खुद शिवकेशी पत्नि औमप्रकाश जाति मीना निवासी दांतली तहसील टोडाभीम जिला करौली।

20. शिवकेशी पत्नी ओमप्रकाश
21. नारायणी पत्नी कैलाराम

समस्त जाति मीना निवासी दांतली तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।

....अपीलांटस्।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बनाम

1. जगराम
2. शिवराम
3. देखराम

पिसरान बद्री जाति मीना निवासी आंतरहेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।

4. रामकिशोर पुत्र राजपाल जाति मीना निवासी दांतली तहसील टोडाभीम जिला करौली।
5. तहसीलदार जी टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली।
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा टोडाभीम जो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक शाखा टोडाभीम जिला करौली।
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा–टोडाभीम जरिये प्रबंधक शाखा टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।

...रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री सुनील कुमार जिंदल अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राधारमण शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 01 व 04।
3. श्री रामभरोसी गुप्ता अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 05।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 13.03.23

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीन जिला करौली में दायर वाद पत्र संख्या 18/2007 बउनवान बद्री वगैरह बनाम हरसहाय वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.09.12 तथा निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 18.12.2015 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा मे मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के समक्ष अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,188 के तहत इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 49 आराजी खसरा नंबर 22 रकबा 65 ऐयर, खसरा नंबर 23 रकबा 1 ऐयर गैर मुमकिन बोंरिग, खसरा नंबर 24 रकबा 1.89 है0 तथा खसरा नंबर 28 रकबा 4 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.59 है0 ग्राम दांतली तहसील टोडाभीम मे स्थित है। जिसमें वर्तमान जमाबंदी में वादी बहिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 बहिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 50 आराजी खसरा नंबर 15 रकबा 40 ऐयर, खसरा नंबर 16 रकबा 78 ऐयर, खसरा नंबर 16/918 रकबा 1 ऐयर गैर मुमकिन बोरिंग, खसरा नंबर 17

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रकबा 61 ऐयर, खसरा नंबर 18 रकबा 68 ऐयर, खसरा नंबर 19 रकबा 43 ऐयर खसरा नंबर 20 रकबा 6 ऐयर, तथा खसरा नंबर 21 रकबा 45 ऐयर कुल किता 8 कुल रकबा 3.42 है0 ग्राम दांतली तहसील टोडाभीम मे स्थित है। जिसमें वादी बहिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 बहिस्सा 1/2 के रिकॉर्डेड खातेदार है। वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से दोनों खातों की भूमि को अलग–अलग कर रखा है तथा वे अपने हिस्से को बिना किसी बाधा के काश्त करते चले आ रहे है। वादी के हिस्से खाता संख्या 50 खसरा नंबर 15, 16, 17, 20, 21 तथा खसरा नंबर 22 व 19 में से 70 ऐयर आये है तथा शेष खसरा नंबर प्रतिवादीगण के हिस्से में आये है। प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ती आने से वे वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में से रास्ता निकालने पर आमदा है तथा वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि को हडपने की धमकी भी देते है। अतः वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का उचित तकासमा कराया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें की वे वादीगण के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत पैदा न करे।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 21.05.2007 को काउन्टर क्लेम पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा पूर्व मे हों चूका है। वर्तमान में प्रतिवादीगण उसी अनुसार काबिज काश्त है। वादी के द्वारा बदल पत्र दिनांक 17.05.06 के जरिये वादी ने अपनी भूमि खसरा नंबर 24 रकबा 1.89 है0 में से अपने हिस्से सहित 5 बीघा भूमि को प्रतिवादी नंबर 10 को देकर उसके बदले में प्रतिवादी सं0 10 से 3 बीघा अच्छी भूमि को स्वयं ने ले लिया और उसके बदले में 5 बीघा भूमि को रजिस्ट्री करवाने की कहा लेकिन वादी के मन में बदयान्ती व्यापत हो गई है। वादी प्रतिवादीगण के के कब्जे काश्त की भूमि को हडपना चाहता है। अतः प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 10 व 12 की खातेदारी की घोषणा काउन्टर क्लेम के मद नंबर 03 के अनुसार करके प्रतिवादीगण की खातेदार घोषित कर उक्त कब्जे के अनुसार प्रतिवादीगण का बंटवारा विधिवत फरमाया जावें। मातहत अदालत ने दिनांक 17.09.12 को निर्णय पारित करते हुए हिस्सानुसार बंटवारा स्कीम तैयार करने हेतु तहसीलदार टोडाभीम को कमीश्नर नियुक्त कर दिया। मातहत अदालत ने दिनांक 18.12.2015 को फाइनल डिक्री कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांटस् की मौखिक साक्ष्य नहीं ली गई, जबकि अपीलांटस् हमेशा अपनी मौखिक साक्ष्य कराने को तैयार रहा हैं इसलिए अपीलांटस् को अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को पेश करने का मौका दिये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

मातहत के समक्ष प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पर गौर नही कर मुताबिक काउन्टर क्लेम दावा डिक्री नहीं किया गया, ना ही अपीलांटस्/प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम को खारिज ही किया गया। अदालत मातहत द्वारा बंटवारा स्कीम तारीखी 10.10.2014 पर पक्षकारान अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस् नंबर 01 ता 04 के हस्ताक्षर नहीं है, ना ही कमिश्नर महोदय द्वारा उक्त प्रकरण में पक्षकारान को विधि पूर्वक किसी प्रकार का नोटिस ही दिया गया है। उक्त सभी तथ्यों पर गौर नहीं कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावें। अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम सशपथ पेश किया गया।

4. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस् को मातहत अदालत के निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी किसी प्रकार की नही थी। अदालत मातहत के निर्णय व डिक्री जेरे अपील को सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 06.06.16 को रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ता 3 द्वारा अपने नाम खातेदारी करवाने की धमकी देने पर हुई, जिस पर अपीलांटस अपने अधिवक्ता से उक्त निर्णय डिक्री की जानकारी की तो अधिवक्ता द्वारा कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नही दिया जिस अपीलांटस् द्वारा अदालत मातहत में उक्त प्रकरण की पत्रावली की जानकारी की तो उक्त पत्रावली रिकॉर्ड रूम करौली में जमा होना बताया तब अपीलांटस् ने करौली जाकर जरिये अधिवक्ता दिनांक 11.06.2019 को समस्त पत्रावली एवं निर्णय व डिक्री की नकल लेने का आवेदन किया और उक्त समस्त पत्रावली व निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 20.06.19 को प्राप्त होने पर अपीलांटस् द्वारा बिना देरी किए यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है। अतः अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जावें।

5. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।
6. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।
7. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में स्वयं ही माना है कि उन्हे 02.02.2016 को निर्णय व डिक्री जानकारी हो गई थी। उसके पश्चात् भी नकल हेतु आवेदन लगभग 3 वर्ष बाद किया गया। यह 3 वर्ष की देरी अतिरिक्त देरी क्यू की गई इसका उचित कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

8. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

9. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा बंटवारा स्कीम तारीखी 10.10.2014 जो पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई, उसमें वादी/रेस्पोडेन्ट का खसरा नंबर 22/1 रकबा 42 ऐयर खसरा नंबर 24/3 रकबा 35 ऐयर पर कब्जा नहीं होने का इन्द्राज किया गया है। उक्त खसरा नंबर पर अपीलांटस् नंबर 16 ता 21 का मौके पर कब्जा है। रेस्पोडेन्टस् नंबर 01 ता 03 के पिता बद्री द्वारा अपीलांटस् नंबर 16 ता 21 के हक में दिनांक 17.05.2006 को बदल–पत्र लिखा गया। फिर भी अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्टस् नंबर 01 ता 03 को उक्त नंबरान कर खातेदार घोषित कर डिक्री कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावें।

10. जवाब बहस में रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दोनों पक्षो को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए ही पारित किया गया है। बावजूद इसके अपीलांटगण, रेस्पोडेन्टगण को अकारण ही परेशान करने के लिए यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

11. उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

12. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2060 वाके ग्राम दांतली पटवार हल्का क्षेत्र भजेडा में खसरा नंबर 22,23,24,28 कुल किता 4 कुल रकबा 2.59 है0 बदरी पुत्र श्योराम 1/2 हिस्सा, बदरी हरसहाय रामफूल पिसरान जगदेव रतनी फूलबाई पुत्रीयान जगदेव हिस्सा 1/12 हरिया, कैल्या पिसरान रामनारायण हिस्सा 1/6 तथा रामकिशोर पुत्र राजपाल कौम मीना हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उसी प्रकार खसरा नंबर 15,16, 16/918, 17,18,19,20,21 कुल किता 8 कुल रकबा 3.24 है0 बदरी पुत्र श्योपाल हिस्सा 1/2 रामकिशोर पुत्र राजपाल हिस्सा 1/4 बदरी हरसहाय रामफूल पिसरान जगदेव रतनी फूलबाई पुत्रीयान जगदेव

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

हिस्सा 1/12 हरिया, कैल्या पिसरान रामनारायण हिस्सा 1/6 के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न बदल पत्र बद्री प्रसाद पुत्र श्री श्योपाल तथा कैलाराम पुत्र श्री रामनारायण के मध्य दिनांक 15.05.2006 के अनुसार बदल कर्ता प्रथम पक्ष ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 24 रकबा 1.89 है0 भूमि मे से 5 बीघा भूमि को बदल कर्ता द्वितीय पक्ष को दे दी गई तथा मौके पर बदल कर्ता द्वितीय पक्ष का कब्जा संभलवा दिया। बदले में बदल कर्ता द्वितीय पक्ष की 03 बीघा भूमि को ले लिया तथा शेष 02 बीघा भूमि को रजिस्ट्री करवाने का वचन दिया।

प्रथमः– कुर्रे रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व तहसीलदार टोडाभीम द्वारा न तो पक्षकारन को मौके पर उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी किए गए न ही स्वयं द्वारा मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए वरन पटवारी व भू अभिलेख द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पर प्रति हस्ताक्षर कर दिए गए जो कि रा. का. अ. नियम (राजस्व मण्डल) 18–21 की पालना किए बगैर ही अदालत मातहत द्वारा जो अन्तिम डिक्री दिनांक 18.12.2015 पारित की है वह विधिक रूप से शून्य होने के कारण अपास्त योग्य है। **द्वितीयः**–अदालत मातहत द्वारा किया उभयपक्षों के मध्य किया गया विभाजन "मीट्स एण्ड बाउण्ड" के आधार पर नही किया गया जो विधि विपरीत है। **तृतीयः**–बदल पत्र का भी निर्णय तनकी संख्या 3 में किया गया है वह विधि विपरीत है। क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 48 व 49 में भूमि का विनिमय व समेकन का प्रावधान है। प्रावधान निम्नानुसार हैः– "**48. Exchange of land -** (1) Tenants of the same class may exchange land which they hold from the same landholder with the written consent of all such land-holders.

(2) A land holder may in agreement with a tenant given such tenant land other than land which is let, in exchange for land which is included in such tenant's holding"

" **49. Exchange for consolidation.** - (1) A Khatedar Tenant who whishes to consolidate the area which he cultivates may apply to the Assistant Collector to exchange any portion of the land which he cultivates for land cultivated by another Khatedar Tenant.

(2) If on receipt of an application under sub-section (1) the Assistant Collector is satisfied after making enquiry in the prescribed amnner that reasonable grounds exist, he may grant such application either in whole or in part and allot to the other tenant land cultivated by the applicant which is apporosimately equal in value to and is of the same quality as the land received by the applicant."

इससे यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा बदल पत्र के " अभिवचनो" के "सारतत्व" पर बिना प्रासंगिक कानूनों के मनन किए ही खारिज कर दिया जो विधि विपरीत है। इस कारण भी अदालत मातहत का निर्णय अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

13. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम 18/2007 बउनवान बद्री वगैरह बनाम हरसहाय वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 17.09.12 तथा निर्णय व फाइनल डिकी दिनांक 18.12.2015 को अपास्त किया जाकर पत्रावली उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अदालत मातहत द्वारा कायम तनकी नंबर 3 का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 48 व 49 की अनुपालना करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी नियम (बोर्ड) 18–21 को ध्यान में रखते हुए "मीट्स एण्ड बाउण्ड" के आधार पर पुनः नए सिरे से उभयपक्षों के मध्य विभाजन करनें के आदेश पारित करे। उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 17.04.2023 को सुनवाई हेतु अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के समक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित हो।

14. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 13.03.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीणा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner